

बजट घोषणा वर्ष 2017 -2018

| क्र-सं | घोषणा बिन्दु | घोषणा |
|--------|--------------|--|
| 1. | 32 | सिंधीकैंप बस अड्डे के विकास एवं multi model बनाने का कार्य RSRDC द्वारा किया जा रहा था, जिस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया गया था। आम जनता को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए सिंधीकैंप बस अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जायेगा। |
| 2. | 371 | Non-transport vehicle से transport vehicle में category change करने पर तथा इन वाहनों के अनापत्ति प्राप्त कर अन्य राज्यों में पंजीयन होने की स्थिति में राज्य में जमा one time tax के refund आवेदन की अवधि को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह किया जाना प्रस्तावित है। |
| 3. | 372 | Non-transport vehicles पर one time tax का निर्धारण वाहन के लिये dealer द्वारा जारी invoice में दर्शायी गयी कीमत के अनुसार किया जाता है। इसको अधिक तर्क संगत बनाने के मद्देनजर manufacturer या dealer द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा दिये गये किसी discount, छूट या रियायत को exclude करते हुए one time tax आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। |
| 4. | 373 | गत वर्ष 12,000 किलोग्राम Gross Vehicle Weight तक के भार वाहन तथा 13 सीट तक बैठक क्षमता वाले private service vehicles के लिये एक मुश्त कर अनिवार्य किया गया था। इस एक मुश्त कर को एक वर्ष में 6 समान किशतों में जमा कराने का विकल्प दिया गया है। एक मुश्त कर के दायरे को बढ़ाते हुये अब 16,500 किलोग्राम Gross Vehicle Weight तक के ट्रकों और 20 सीट तक बैठक क्षमता वाले private service vehicles तथा contract carriage buses के लिये भी समान प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। |
| 5. | 374 | Construction Equipment Vehicle की non-transport category पर one time tax की दर निर्मित यानों के लिये कीमत का 6 प्रतिशत तथा chassis के रूप में क्रय वाहन पर कीमत का 7.5 प्रतिशत 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी है। अब इस श्रेणी के यानों पर निर्मित यानों के लिये कीमत का 7 प्रतिशत तथा chassis के रूप में क्रय किये गये वाहनों पर कीमत का 8.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। |
| 6. | 375 | Trade Certificate धारक vehicle manufacturers/ dealers के अधिपत्य में रखे वाहनों पर कर की सीमा two wheeler vehicles के लिये 2000 रुपये प्रति 100 वाहन या उसके भाग के लिये तथा three and four wheeler vehicles के लिये 4000 रुपये प्रति 50 वाहन 31.03.2000 से प्रभावी है। अब ऐसे two wheeler vehicles के लिये 4000 रुपये प्रति 100 वाहन या उसके भाग के लिये तथा three and four wheeler vehicles के लिये 8000 रुपये प्रति 50 वाहन या उसके भाग के लिये किया जाना प्रस्तावित है। |
| 7. | 376 | Goods Vehicle तथा Construction Equipment Vehicle के परिवहन श्रेणी के यानों पर Motor Vehicle Tax की अधिकतम सीमा 25000 रुपये वार्षिक 04.10.2002 से प्रभावी है। अब ऐसे वाहनों पर कर की अधिकतम सीमा 35000 रुपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है। |